न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री राजेशकुमार नायक आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या– 96/18

निर्णय दिनांक – 09/06/2022

1. औकार पुत्र प्रताप, जाति–सीणा, निवासी खिजुरिया अहिरान, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. लालाराम मीणा पुत्र प्रताप मीणा जाति–मीणा निवासी–खिजुरिया अहिरान, तहसील बस्सी. जिला जयपर।।

वादीगण

बनाम

1. भोलू पुत्र भगवान
2. छोटू पुत्र भगवान
3. रामफूल पुत्र भगवान
4. हरिनारायण पुत्र भगवान
5. सीताराम पुत्र बद्री नारायण
6. राजाराम पुत्र बद्रीनारायण
7. रमेश पुत्र हजारी
8. रामजीलाल पुत्र हजारी

   समस्त जाति–मीणा समस्त निवासीयान–भगवान बाबा की ढाणी, सेक्टर–11, मालवीय नगर, जयपुर।
9. श्रीनारायण पुत्र सोहन
10. मनफूल पुत्र सोहन
11. रामचन्द्र पुत्र सोहन
12. श्रीमती मंजू पुत्री गोपाल
13. श्रीमती लक्ष्मा पुत्री गोपाल
14. श्रीमती मन्नी पुत्री गोपाल

    समस्त जाति–मीणा समस्त निवासीयान–खोरो की ढाणी, नन्दपुरी कॉलोनी, जयपुर।
15. श्रीमती छोटी पुत्री गोपाल
16. रामधन पुत्र छोट्
17. सीताराम पुत्र छोटू
18. रामजीलाल पुत्र छोटू
19. रामनिवास उर्फ राजकुमार पुत्र छोटू

    समस्त जाति–मीणा समस्त निवासीयान–सईद बाबा की मोरी के पास, मालवीय नगर, जयपुर।
20. रामनारायण पुत्र भोरिया (नाऔलाद फौत)
21. लाला पुत्र किशन
22. भगवान पुत्र किशन (फौत)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested

22/1 सचिन पुत्र भगवान

22/2 राहुल पुत्र भगवान

23. काना पुत्र भोरिया(फौत)

23/1 ठाकुर सिहं पुत्र काना

23/2 हनुमान पुत्र काना

23/3 मोहन पुत्र काना

24. रामधन पुत्र भोरिया

25. गणेश पुत्र किशन

26. श्रीमती गंगा देवी बेवा प्रताप

27. हुक्मचन्द पुत्र प्रताप

28. राधेश्याम उर्फ रामकरण पुत्र प्रताप

29. गंगादेवी पत्नी प्रताप

समस्त जाति–मीणा समस्त निवासीयान–ग्राम खिजुरिया अहिरान, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

30. श्रीमती रूकमणी देवी पुत्री प्रताप

31. श्रीमती राधा देवी पुत्री प्रताप समस्त जाति–मीणा

32. गणेश पुत्र हीरा (फौत)

32/1 नारायण पुत्र गणेश (फौत)

32/1/1 रामप्रसाद पुत्र नारायण

32/1/2 रामगोपाल पु.त्र नारायण

समस्त निवासीयान–ग्राम गढ की कोठिया तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

33. लक्ष्मण पुत्र बलदेव(फौत)

33/1 रामलाल पुत्र लक्ष्मण

33/2 गोपाल पुत्र लक्ष्मण (फौत)

33/2/1 लालचन्द पुत्र गोपाल

33/2/2 राजराम पुत्र गोपाल

समस्त जाति–मीणा समस्त निवासीयान–खोरो की ढाणी, नन्दपुरी कॉलोनी, जयपुर।

34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

35. उप पंजीयक सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य निम्न प्रकार है कि वादी ने वाद बावत घोषणा व बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण की सामलाती भूमि ग्राम झालाना डूंगरी पटवार क्षेत्र जगतपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसके खसरा नम्बर 312 एकबा 0.08

ड अधिकारी
(दि.ग्रा)
Jul 26, 2022, 18:43

हेक्टयर, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.04 कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.12 हैक्टयर उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 27 से 31 के पिताजी एवं पति के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 27 से 31 के साथ सम्पूर्ण में 1/6 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिताजी एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के दादाजी स्व. श्री भगवान के नाम 1/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 को नाम 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 15 के पिताजी स्व0 श्री गोपाल के नाम से 1/6 हिस्सा तथा शंकर जो कि नाऔलाद फौत हो गया एवं प्रतिवादी संख्या 16 से 19 के पिता छोटू के नाम 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 20 जो कि नाऔलाद फोत हो गया एवं प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 24 के पिताजी एवं दादाजी स्व. श्री भोरिया के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 32/1/1 तथा 32/1/2 के पिताजी व दादाजी प्रतिवादी संख्या 32 के के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 33 के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण का वाद पत्र में यह कथन रहा कि वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से के अनुसार मौके पर मनबट के आधार पर काबिज है। वादग्रस्त भूमि का आज तक विधिवत रूप से मीट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर आज भी कब्जा करके उक्त अविभाजित भूमि पर अपने अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर काबिज चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण शामलाति रूप से भूमि के हर हिस्से व इंच पर कब्जा शामलाति चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 दिनांक 10.07.2015 को कुछ असामाजिक तत्वों को साथ लेकर मौके पर आये और वादीगण की शामलाति भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा करने तथा बेचान, रेहन, विक्रय करने की धमकी देकर चले गये तथा दिनाक 12.07.2015 को पुनः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के द्वारा मौके पर आकर वादीगण व परिवार वालो को उक्त वादग्रस्त अविभाजित भूमि व कब्जे की भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया तथा वादीगण ने यह भी कथन किया कि प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वादीगण के कब्जे की भूमि पर जबरन निर्माण कर बेदखल कर उसका बेचान करेगे। तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को विधि अनुसार उपरोक्त सम्पत्ति का विभाजन करने का प्रस्ताव भी दिया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा करने से स्पष्ट मना कर दिया इस कारण वादीगण ने यह बाद पत्र दिनांक 16.07.2015 को प्रस्तुत किया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को तलबी जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 24,26,27,28 की और से अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादी संख्यां 8,11,15,16,21,22,23 स्वयं उपस्थिति 12 लगायत 14 की और से वकील श्री संदीप मीना ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7,9,10,17 से 20 के विरुद्ध दिनांक 9.10.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई । प्रतिवादी संख्या 25 के विरुद्ध दिनांक 12.12.2019 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से दिनांक 12.12.2019 को प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र मे घोषणा सम्बन्धी अनुतोष सहवन से दर्ज हो गया है। वादीगण घोषणा की रिलीफ नही चाहता है क्योकि जमाबंदी में ही वादीगण का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सुना गया वादीगण द्वारा प्रस्तुत

जमाबंदी का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा चाही गयी घोषणा की रिलीफ न्यायहित में डिलीट की जाती है।

वादीगण की और से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रति जमावंदी, नक्शा ट्रेस इत्यादि की प्रमाणितप्रति पेश की। बहस एक पक्षीय वादीगण सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का तर्क है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता व दादाजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तत्पश्चात वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनकर वादी का वाद प्राथमिक रुप से दिनांक 26.12.2019 को डिक्री किया गया तत्पश्चात वादीगण ने सहमति पत्र दिनांक 18.10.2021 मय नक्शा प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व मे ही हुए विभाजन के अनुसार सभी काश्तकार अपने अपने हिस्से पर काबिज है तथा सभी काश्तकारो के हिस्से मे आई भूमि को नक्शे मे पृथक पृथक रंग से दर्शाया गया है इसलिए प्रकरण मे अंन्तिम डिक्री सहमति पत्र व नक्शे के अनुसार पारित की जावे ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वादीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर मनन किया तथा सहमति पत्र दिनांक 18.10. 2021 मय नक्शे के अनुसार सभी काश्तकार अपने अपने हिस्से पर पृथक पृथक रुप से काबिज हो चुके जो कि निम्न प्रकार है –छोटी देवी मन्नी लक्ष्मा पुत्री गोपाल हिस्सा 3/48 मंजू पुत्री गोपाल हिस्सा 5/48 जाति मीणा के हिस्से मे आई भूमि को नक्शे मे आसमानी रंग से दर्शित है तथा प्रताप के वारिसान औकारं लालाराम हुकमचन्द राधेश्याम उर्फ रामकरण पुत्रान प्रताप ,रुकमणी ,राधादेवी पुत्रीयॉ प्रताप, गंगादेवी पत्नी प्रताप हिस्सा 1/6 जाति मीणा के हिस्से आई भूमि हरे रगं से दर्शित है तथा भौरिया के वारिसान रामधन पि0 भोरिया ठाकुरसिंह, हनुमान, मोहन पुत्रान् काना, लाला, गणेश पुत्र किशन, सचिन, राहूल पुत्रान् भगवान दर हिस्सा 1/6 के हिस्से मे आई भूमि नीले रंग से दर्शित है तथा लक्ष्मण के वारिसान रामलाल पुत्र लक्ष्मण, लालचन्द, राजाराम पुत्र गोपाल जाति मीणा दर हिस्सा 1/6 हिस्से मे आई भूमि गुलाबी रंग से दर्शित है तथा शंकर पुत्र गणेश नाऔलाद फौत हो गया छोटू के वारिसान रामधन, सीताराम, रामजीलाल, राजकुमार पि0 छोटू हि. 1/9, मनफूल रामचनद्र श्रीनारायण पुत्रान सोहन हिस्सा 1/8 आई भूमि पीले रंग से दर्शित है तथा गणेश के वारिसान रामप्रसाद, रामगोपाल पुत्रान नारायण एवं बालू, छोटू ,रामफूल हरिनारायण पुत्रान भगवान तथा सीताराम, राजाराम पुत्रान् बद्रीनारायण व रमेश, रामजीलाल पुत्रान् हजारी का संयुक्त हिस्सा 1/6 आई भूमि लाल रगं से दर्शित है तथा समस्त खातेदार की शामलाती भूमि को मटमैला रंग से दर्शित किया गया है। ऐसी अवस्था मे सभी काश्तकारो के मध्य ग्राम झालाना डुंगरी तहसील सांगानेर मे स्थित खसरा [illegible]12 रकबा 0.08 हैक्टयर , खसरा नम्बर 329 रकबा 0.04 हैक्टयर का सहमति पत्र दिनांक 18.10.2021 मय नक्शे के अनुसार अंतिम विभाजन किया जाना उचित प्रतीत हो[illegible]

अत वादीगण का वाद विरुद्व प्रतिवादीगण अंतिम रुप [illegible] सहमति पत्र दिनांक 18.10.2021 मय नक्शे के अनुसार डिक्री किया जाता है तथा सहमति पत्र तथा नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगे तथा तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि सहमति पत्र मय नक्शे के अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण का राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested

26, 2022, 18:43

अभिलेखो मे पृथक पृथक खाता व लगान कायम करे तथा राजस्व नक्शे मे सहमति पत्र व नक्शे के अनुसार तरमीम करे। आदेश की पालना मे तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी तैयार किया जावे । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09/06/2022 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया ।

राजेश कुमार नायक
उप खण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
जयपुर द्वितीय

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
सांगानेर जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested